हवा सिंह तंवर - तुस्सी ग्रेट हो ?

धोखाधरी, जालसाजी, अमानत में खयानत, अपनी मर्जी से लेटर हेड, फर्जी रसीद एवं स्टीकर इत्यादि छपवाकर पैसे की वसूली एवं बच्चों को अगवा तथा पूरे-परिवार को जान से मरवाने की धमकी।

श्री हवा सिंह तंवर पुत्र श्री ए॰ एस॰ तंवर पता ई-38, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052 एवं स्थायी पता 10-जी॰, मालवीय काम्पलैक्स, एम॰ एम॰ रोड, अमृतसर, पंजाब है। जो कि 2003 के सितम्बर माह में एहरा की पत्रिका लेकर एहरा कार्यालय में आया और अध्यक्ष से आग्रह किया कि अध्यक्ष उसे तुरंत संस्था का महासचिव बना दे और इसके बदले में वह संस्था को सदस्यता के साथ-साथ प्रोजेक्ट के लिए जमीन व सरकारी मदद दिलायेगा, कुछ ही दिनों में। परंतु अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी बार-बार आग्रह के बाद अध्यक्ष ने उसे समझाया और उसे संस्था कि प्राथमिक सदस्यता के बारे में बतलाया। उसने तुरंत ही संस्था की प्राथमिक सदस्यता ली और उसके बाद वह हर माह कार्यालय में आकर बार-बार संस्था का महासचिव बनने का आग्रह करता रहा और अंत में अध्यक्ष ने उसे अत्यधिक आग्रह के बाद पंजाब ईकाई का चीफ बना दिया। परंतु इतने पर भी हवा सिंह संतुष्ट नहीं हुआ और अध्यक्ष से संस्था का महासचिव बनाने का आग्रह करता रहा। अंत में संस्था ने 2007 में हवा सिंह के बहुत आग्रह के बाद उसे महासचिव का पद दिया गया जो कि 3 साल के लिए था। पद मिलने के तुरंत बाद ही वह लक्ष्मीनगर के कार्यालय में आना शुरू कर दिया और संस्था के सभी कार्यों में रूचि लेने लगा और साथ ही साथ संस्था के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने पास रखने लगा और कार्यालय के सभी स्टाफों एवं संस्था के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अपना घनिष्ठ संबंध बनाने लगा एवं पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के राज्यों में सदस्यता अपने देख-रेख में बनाने लगा जिसका सभी हिसाब-किताब सदस्यता शुल्क इत्यादि अपने पास रखने लगा और लेखा-जोखा मांगने पर टाल-मटोल करता रहा, यह कहते हुए कि संस्था उस पर विश्वास रखे और वह संस्था को बुलंदियों पर ले जाएगा। संस्था का अध्यक्ष संस्था के विकास के लिए विभिन्न राज्यों के कार्यक्रम एवं अपने परिवार की व्यस्तता में रहने के कारण महासचिव पर भरोसा करते रहे। इसी बीच जून 2008 में हवा सिंह तंवर ने संस्था के अध्यक्ष से आग्रह किया कि संस्था का वार्षिक सम्मेलन जो कि 10 दिसंबर, 2008 को दिल्ली में होना हमेशा की तरह तय था, को अमृतसर पंजाब में किया जाये। चुंकि उपरोक्त प्रोग्राम की तैयारियां दिल्ली में शुरू हो चुकी थीं इसलिए संस्था के अध्यक्ष ने अपनी असहमति जतायी। परंतु हवा सिंह के बार- बार आग्रह और ये कहने पर कि अगर उसको संस्था का वार्षिक सम्मेलन अमृतसर में नहीं करने दी गई तो संस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, प्रोग्राम के लिए प्रायोजकों से बात कर रखी है जो कि संस्था की पंजाब ईकाई को 20-25 लाख रूपये के करीब देंगे और वह अध्यक्ष के सहमति से अमृतसर में वृद्धाश्रम एवं स्कूल खोलने में काम आयेंगे और उसने यह भी कहा कि वे संस्था से करीब रूपये 6 लाख की मदद लेगा और सभी पैसों का लेखा-जोखा राष्ट्रीय कार्यालय को ऑडिट कराकर देगा। अत: उपरोक्त बातों में आकर कार्यकारिणी उत्साहित हो गयी और संस्था के अध्यक्ष ने कार्यक्रम की सहमति दे दी और कार्यक्रम को अत्याधिक सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिना आर्थिक मदद लिए युनाईटेड नेशन इन्फोरमेशन सेन्टर, दिल्ली को कार्यक्रम का सह-संचालक बनाया। जिसमें स्वयं सुश्री शालीनी दिवान जो उस वक्त डायरेक्टर, यु॰ एन॰ आई॰ सी॰ थी, कार्यक्रम में भाग लीं। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने देखा कि कार्यक्रम के लिए बड़े- बड़े लोगों के नाम पर कई कम्पनियों को प्रायोजक बनाया गया है और प्रायोजकों को अवार्ड लेने के लिए कार्यक्रम में बुलाकर उन सबको हवा सिंह ने अवार्ड दिलवाया। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हवा सिंह तंवर से कार्यक्रम

का हिसाब-किताब मांगा तो उन्होंने सबसे पहले रूपये 6 लाख की मांग की इस बाबत कि अभी होटल, खाने वालों का एवं अन्य लोगों का हिसाब देना है बाद में सभी हिसाब-किताब राष्ट्रीय कार्यालय को दे दिए जायेंगे। **इस बाबत कार्यालय के स्टाफ एस॰ मुरलीधरन के साथ मिलकर अध्यक्ष पर काफी दबाव बनाया। उसे चेक संख्या**-197733 **(आई. सी. आई. सी आई बैंक) एम॰ के॰ होटल के नाम दिनांक** 30/12/2008 **को रूपये** 35000/-**, चेक संख्या**-197734 **(आई. सी. आई. सी आई बैंक) गुन्नी फिलींग्स स्टेशन के नाम दिनांक** 30/12/2008 **को रूपये** 1,25,000/-, **चेक संख्या**-197735 **(आई. सी. आई. सी आई बैंक) गुरूकृपा ट्रैवेल्स के नाम दिनांक** 30/12/2008 **को रूपये** 15,000/-**, चेक संख्या**-197736 **(आई. सी. आई. सी आई बैंक) मिस॰ सिम्पल खन्ना के नाम दिनांक** 30/12/2008 **को रूपये** 1,44,900/- **एवं जो सदस्यता के नाम पर संस्था का पैसा अपने व्यक्तिगत चेक संस्था के नाम दे रखा था, बाउंस होने के कारण वापस हिसाब में चेक संख्या**- 680131 **(आई. सी. आई. सी आई बैंक) ऑल इंडिया ह्युमन राइट्स एसासिएशन के नाम दिनांक** 21/07/2008 **का रूपये** 50,000/-, **चेक संख्या**-045666 **(साउथ इंडियन बैंक) ऑल इंडिया ह्युमन राइट्स एसासिएशन के नाम दिनांक** 02/08/2008 **का रूपये** 69,100/-**, चेक संख्या**-034220 **(साउथ इंडियन बैंक) ऑल इंडिया ह्युमन राइट्स एसासिएशन के नाम दिनांक** 05/08/2008 **का रूपये** 1,42,000/-, **तथा नकद राशि रूपये** 19,000/- **कुल मिलाकर रूपये 6 लाख हवा सिंह ने राष्ट्रीय कार्यालय से दिनांक** 30/12/2008 **को लिया।** अध्यक्ष को हवा सिंह ने आश्वासन दिया कि सभी हिसाब-किताब एवं लेखा-जोखा ऑडिट कराकर राष्ट्रीय कार्यालय को जल्द सौंपेगा। जो कि उसने आज तक नहीं दिया। बाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पता चला की हवा सिंह को 14 प्रायोजकों ने लगभग रूपये 25 लाख दिए जिसका हिसाब कई बार मांगने के बाद भी नहीं दिया। हवा सिंह ने कार्यक्रम के आस-पास कई ईकाईयों से झूठी रसीद छपवाकर चन्दा इकट्ठा किया और स्टीकर छपवाकर बेचा। इससे लगभग रूपये 4-5 लाख बिना राष्ट्रीय कार्यालय को बतलाए इकट्ठे किए और सदस्यता के नाम एवं पद दिलाने के नाम पर भी मोटी रकम वसूल कर रकम को हड़प गया। हड़पी गयी रकम हवा सिह तंवर ने अपने नाम से अपने खाता संख्या 006601517564 (आई. सी. आई सी. आई बैंक) में जमा करवाया और इसका कोई भी हिसाब-किताब राष्ट्रीय कार्य-कारिणी को नहीं दिया और मांगने पर आजकल- आजकल करता रहा। इसी दौरान हवा सिंह संस्था से सदस्य जोड़ता रहा और फार्म में अंकित सदस्यता शुल्क से अधिक रकम लेता रहा और अपने पास रखता रहा। चुंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी माँ की बिमारी में व्यस्त एवं एक माह के लिए 2009 में मुम्बई में थे और वहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का संचालन कर रहे थे। इस बीच हवा सिंह तंवर पर कोई दबाव नहीं पड़ा और दिल्ली में हवा सिंह अपनी मर्जी से राष्ट्रीय कार्यालय का संचालन करते रहे। इसी बीच धोखाधरी, जॉलसाजी, अमानत में खयानत करते रहे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय आये और सभी हिसाब-किताब हवा सिंह से मांगा तो दिनांक 11/06/2009 को रूपये 2,45,100/- सदस्यता का हिसाब की देनदारी कबूल करते हुए बकाया स्लिप पर हस्ताक्षर किया और जल्द ही सभी देनदारी एवं पूरा हिसाब देने का वादा किया। इसी बीच 10 दिसंबर 2009 का कार्यक्रम जयपुर में रखा गया। वहाँ भी हवा सिंह के यह कहने पर कि अब मेरा महासचिव का अंतिम साल है और मैं अंतिम समय में कुछ अच्छा करना चाहता हुँ ताकि संस्था मुझे याद करे। उसके चतुराई में आकर अध्यक्ष ने फिर एक बार हवा सिंह एवं अनिल शर्मा को जो कि राजस्थान के को-आर्डिनेटर थे को जयपुर कार्यक्रम के संचालन का कार्य-भार सौंपा गया। कार्यक्रम का पूरा खर्चा श्री मोदी एवं खेतान जी ने उठाया। वहां भी हवा सिंह ने अपनी चतुराई एवं जॉलसाजी से कई लोगों से लाखों रूपये की वसूली की और संस्था के कई ईकाईयों से कार्यक्रम के नाम पर एवं सदस्यता के नाम पर पैसा लेकर सभी पैसों को अपने पास रखा। नये व पुराने हिसाब मांगने पर बड़ी मासुमियत से यह कहता रहा अभी मैं हिसाब बना रहा हूँ और सारा हिसाब-किताब का लेखा -जोखा अपने बिजनेस चार्टेड एकाउंटेड को अमृतसर में दे रखा है जो जल्द ही देगा और उसे लेकर राष्ट्रीय कार्यालय को सौंप दी जायेगी। इसी दौरान हवा सिंह संस्था के स्टाफ, सदस्य एवं पदाधिकारियों को बरगलाता रहा है यह कहते हुए कि एक नया संस्था बना रहा है जिसका नाम अखिल भारतीय ह्युमन राइट्स संगठन रहेगा और वेतनभोगी स्टाफ एस॰ मुरलीधरन अध्यक्ष होगा। सभी को रूपये 10-10 हजार से ऊपर वेतन मिलेगा और सदस्यता शुल्क का 50 प्रतिशत रकम सभी को मिलेगा और एहरा को खत्म कर दिया जायेगा क्योंकि यहां एम॰ यू॰ दुआ किसी को कुछ खाने नहीं देता। और अगर एम॰ यू॰ दुआ हमारे बीच आया तो उसके सारे परिवार को देख लेंगे और उसके चाहने वालों को खरीद लेंगे। इसी कार्यवाही के तहत हवा सिंह ने 8 मई, 2010 को महाराणा प्रताप भवन, केशवपुरम, दिल्ली में एक मीटींग की जिसमें उसने निष्कासित सदस्यों, असामाजिक तत्वों एवं ईकाई के कुछ पदाधिकारियों तथा स्टाफ को बुला रखा था। उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष व सचिव डा॰ एन॰ दुआ को लैण्डलाईन एवं मोबाइल पर अनजान व्यक्ति द्वारा फोन आया कि ऑल इंडिया ह्युमन राईट्स ऐसोसिएशन की मीटिंग केशवपुरम में चल रही है और आपके खिलाफ साजिश रची

जा रही है यह जानकर अचंभित होते हुए अध्यक्ष एवं सचिव जो कि अपने बच्चों के साथ बाजार जा रहे थे अचानक वहां पहुँचे। अपने सदस्यों, कुछ पदाधिकारियों एवं स्टाफ को देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा यह क्या हो रहा है? तो हवा सिंह और उनके साथियों ने राष्ट्रीय सचिव डा॰ एन॰ दुआ के साथ धक्का-मुक्की एवं हाथापाई की और चोट पहुँचायी गयी। तत्काल 100 नं॰ पर कॉल किया गया उस वक्त शाम के करीब 7 बजे थे। पुलिस आई और स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज की गयी। चुंकि सभी एहरा के सदस्य थे और अध्यक्ष पुरी कहानी से अनभिज्ञ थे इसलिए एस॰ एच॰ ओ॰ के समझाने, भविष्य में ऐसा कोई हरकत नहीं करने, झगड़े को आगे नहीं ले जाने, संस्था को बदनाम नहीं करने, जो अध्यक्ष कह रहे हैं सारे हिसाब-किताब जल्द देने, देनदारी से बचकर गुटबाजी नहीं करने एवं सभी के माफी मांगने तथा देर रात्रि साथ में बच्चे होने के कारण अध्यक्ष एम॰ यू॰ दुआ द्वारा कारवाई रोक दी गयी।

उपरोक्त स्थान पर पता चला कि हवा सिंह ''एहरा'' को नुकसान पहुँचाने एवं सभी देनदारी तथा काली करतुतों से बचने एवं छुपाने के लिए एहरा के ही कुछ असंतुष्टों को एक कर एक नया संगठन बना रहा है।

राष्ट्रीय कार्यालय से महत्वपूर्ण दस्तावेजों को गायब करने, स्टाफ को बहकाने, प्रलोभन देने, अपने सभी कार्यकाल का हिसाब-किताब नहीं देने, 2008 एवं 2009 के दिसंबर कार्यक्रम का हिसाब नहीं देने, पैसे की गबन करने एवं संस्था के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने, अध्यक्ष को देख लेने, झूठे केसों में फंसाने, बच्चों को अगवा करने, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी के बाद हवा सिंह को महासचिव पद एवं सदस्यता से निष्कासन का पत्र अध्यक्षीय हस्ताक्षर से 12 मई 2010 को भेज दिया गया जिसे 03/06/2010 के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इमरजेंसी मीटिंग में प्रस्ताव रखकर पास किया गया। 12 मई से ही हवा सिंह महासचिव नहीं है फिर भी एहरा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को फोन कर गुमराह कर रहे हैं और अपने तथाकथित संगठन के सदस्य बनने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन देकर दबाव बना रहे हैं।

अब तक हवा सिंह की देनदारी नकद राशि रूपये 2,45,100/- हस्ताक्षर दिनांक 11/06/2009, एक चेक संख्या 030286 (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) जो ऑल इंडिया ह्युमन राइट्स एसोसिएशन के नाम दिनांक 20/12/2006 रूपये 40,000/- जो हवा सिंह तंवर ने संस्था को दिए थे बाउंस होने के वजह से कार्यालय के फाइल में ओरिजनल चेक दबा मिला। इस प्रकार हवा सिंह की सभी मिलाकर देनदारी रूपये 38,85,100/- से भी अधिक बनती है। जिसकी जांच की आवश्यकता है।

रकम के अलावा राष्ट्रीय कार्यालय से एक कम्प्यूटर, एक मोबाइल, मीटींग बुक्स, मेम्बर्स रजिस्टर, स्टैंपस, रजिस्ट्रेशन कॉपी, बाईलॉज, बैलेंसशीट, लेटर हेड्स, फोटोग्राफ्स (कार्यक्रम), वीडीयो (डीवीडी/सीडी), माईक तार के साथ, स्टेशनरी, महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई प्राजेक्टस के फाइल, रसीद बुक, वाउचर एवं अन्य हवा सिंह तंवर ने अपने कब्जे में ले रखा है और संस्था के स्टाफ एस॰ मुरलीधरन के साथ मिलकर एहरा के वेबसाइट के साथ भी छेड़छाड़ एवं एक बार बेवसाइट को हैक भी किया है।

ऐसे गद्दारों, समाज के विरोधियों, मानवता के दुश्मन, लालची, लोभी लोगों के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे ?

"एहरा की छवि को धूमिल करने वाले लोगों का मुँह काला कर, सर मुंडवा कर एवं गधे पर बैठाकर समाज के बीच घुमाया जायेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. यू. दुआ जी का हर दिशा-निर्देश सभी को मान्य है।"

- ऐसा निर्णय एहरा के 1200 ईकाई पदाधिकारियों ने टेलीफोनिक वार्तालाप के बाद लिया।

"कहते हैं, वक्त जख्म भर देता है, मगर जख्म ही मेरा जीने का मकसद है।" - एम.यू. दुआ

हवा सिंह पर इल्ज़ाम

1. एहरा संस्था में जालसाजी एवं अमानत में खयानत कर घोटाला किया - 38 लाख, 85 हजार, 100 रुपये।
2. नोएडा के एक मशीन कंपनी को मशीन के बदले 2 लाख, 50 हजार रुपये नहीं दिये।
3. बंगाल की टी कंपनी को 9 लाख, 25 हजार का चूना लगाया।
4. अपने साले से 28 लाख रुपये गैस एजेंसी एवं अन्य कार्यों के लिए लिये और डकार गया। साले के कथनानुसार विभिन्न गाँव वालों से लाखों रुपये गैर-कानूनी कार्यों के लिए लिया और डकार गया।
5. एहरा के कई ईकाई पदाधिकारियों से अपने बिजनेस के लिए लाखों रुपये लिए और वापिस नहीं किया।
6. एहरा के महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास छुपाया।

सभी सबूत, एफ आई आर की कॉपी एवं विस्तृत जानकारी के लिये एहरा प्रशासनिक कार्यालय दिल्ली से सम्पर्क किया जा सकता है।